प्रेस नोट जनपद फतेहपुर
दिनांक 13.05.2025

पुलिस मुठभेड़

थाना थरियांव क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 12/13.05.2025 की रात्रि हत्या की घटित घटना के अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्रकाश में आये/संलिप्त अभियुक्त जनपदीय इंटेलीजेंस विंग, एसओजी सहित थाना थरियांव पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के केशवपुर मोड़ निकट से पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से मृतक के मोबाइल फोन सहित नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण- थाना थरियांव क्षेत्रांतर्गत गत रात्रि (12/13.05.2025) को ग्राम बिलंदा में विवाद व मारपीट की घटित घटना में स्थानीय निवासी कृष्ण गोविंद तिवारी उम्र करीब 64 वर्ष की मृत्यु हो जाने व अवधेश प्रजापति उम्र करीब 55 वर्ष के घायल होने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 138/2025 धारा 103(1)/109 बीएनएस विरुद्ध राजू पासवान पुत्र दुलारे निवासी ग्राम बिलंदा थाना थरियाव जनपद फतेहपुर के पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। घटना के मुख्य आरोपी राजू पासवान को तत्काल हिरासत में लेकर घटना बावत पूछतांछ पर एक अन्य अभियुक्त चन्द्रशेखऱ उर्फ लाला पुत्र राजू पासवान की संलिप्तता प्रकाश में आयी । अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ लाला को मुखबिर सूचना व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर थाना क्षेत्र के केशवपुर मोड़ के निकट जनपदीय इंटेलीजेंस विंग, एसओजी सहित थाना थरियांव पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तारी के प्रयास पर अभियुक्त द्वारा बचाव में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया जाने लगा कि पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग के फलस्वरूप चन्द्रशेखर उर्फ लाला के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया । अभियुक्त के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन सहित एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ । अभियुक्त को उपचार हेतु पीएचसी हसवां भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत घटना में मजरूब अवधेष प्रजापति की केजीएमयू लखनऊ में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी है। घटना स्थल का निरीक्षण श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा किया गया है, साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है । घटना में संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी में संलग्न पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा 15000 /- रु0 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः--

1. चन्द्रशेखऱ उर्फ लाला पुत्र राजू पासवान उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बिलंदा थाना थिरयांव जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस
3. दो अदद खोखा कारतूस बरामद
4. मृतक का की-पैड मोबाइल फोन

A- गिरफ्तारी करने वाली टीम (एसओजी) —

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी एसओजी।
2. मु0आ0 अनिल सिंह
3. का0 अभिमन्यू पटेल
4. का0 बृजेश पाल
5. का0 राहुल कुमार
6. का0 अमन सिंह

B- गिरफ्तारी करने वाली टीम (इंटेलीजेंस बिंग) –

1. निरीक्षक श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी, प्रभारी इंटेलीजेंस बिंग
2. का0 रामकुमार
3. का0 विकास कुमार
4. का0 प्रमोद कुमार

C- गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना थरियांवः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार पाण्डेय थाना थरियांव
2. उ0नि0 विनोद कुमार पटेल
3. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह
4. मु0आ0 शैलेन्द्र सिंह
5. मु0आ0 राजेन्द्र प्रसाद
6. का0 सर्वेश कुमार
7. का0 मनोज कमार
8. का0 प्रवीण चौधरी

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर